

वार्षिक परिपत्र 2017-18
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

प्रेषक

प्रेषित

सचिव
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड
भिवानी।

प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक / मुख्याध्यापिका
हरियाणा राज्य के सभी राजकीय / मान्यता प्राप्त
उच्च / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय।

क्रमांक : 4723/EW/A-II

दिनांक : 03.03.2017

विषय : शैक्षिक सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु पात्रता शर्तें एवं नवीनतम निर्णयों संबंधी सूचनाएं।

महोदय/महोदया,

हरियाणा सरकार के आदेशानुसार शैक्षिक सत्र 2016-17 से कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक सैमेस्टर प्रणाली समाप्त कर दी गई है। शैक्षिक सत्र 2017-18 में विद्यालयों द्वारा उपर्युक्त विषय में उल्लेखित एवं कुछ अन्य अधोलिखित बिन्दुओं पर जिन दिशा निर्देशों का अनुशरण किया जाना है व जिन नवीनतम निर्णयोंनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी है, उनका ब्यौरा निम्नप्रकार है :

(क) प्रवेश हेतु पात्रता शर्तें

1. विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा अधिसूचित नियमों में विद्यमान व्यवस्था के दृष्टिगत नियमित विद्यार्थी के तौर पर कक्षा 10वीं में प्रवेश हेतु नौवीं कक्षा व इसी तरह 12वीं कक्षा तक प्रत्येक कक्षा में प्रवेश हेतु पिछली कक्षा 10+1 को उत्तीर्ण किया होना आवश्यक है।
2. सीनियर सैकेण्डरी के तीनों संकायों (मानविकी, वाणिज्य, विज्ञान) में प्रवेश हेतु इस बोर्ड से अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड की जिस परीक्षा को इस बोर्ड की सैकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष (शर्त/बिना शर्त) मान्यता है, से केवल अंग्रेजी विषय सहित सैकेण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है अर्थात् वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में प्रवेश हेतु अंकों की प्रतिशतता अथवा गणित/विज्ञान विषयों में किसी सीमा तक प्रतिशतता के होने जैसी शर्त अब समाप्त हो चुकी है।
3. इस बोर्ड की सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दसवीं का अंग्रेजी विषय उत्तीर्ण करना आवश्यक है लेकिन यदि किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से सम्बन्धित कोई छात्र सैकेण्डरी के अंग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण है तो वह इस शर्त पर 11वीं कक्षा में अस्थाई प्रवेश का पात्र है कि वह प्रवेश लेने के बाद आगामी लगातार दो अवसरों में उक्त विषय उत्तीर्ण कर ले अन्यथा उसको 11वीं में दिया गया प्रवेश व उसका परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। अतः संस्था के मुखिया इस सम्बन्ध में छात्र से लिखित में प्रार्थना-पत्र ले लें।

(ख) प्रवेश की तिथियां व अन्य जानकारियां

1. बोर्ड द्वारा आधार कार्ड नम्बर को परीक्षार्थी के व्यक्तिगत डाटा में अनिवार्य रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अतः सभी विद्यालय उनके विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आधार कार्ड नम्बर का रिकॉर्ड तैयार करना सुनिश्चित करें तथा परीक्षा आवेदन-पत्र भरते समय विद्यार्थी का आधार नम्बर अवश्य भरा जाए, ताकि उसे कार्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सके।
2. 11वीं व 12वीं कक्षा में विद्यार्थी को केवल एक ही संकाय में से विषय लेने की अनुमति दी जाए अर्थात् विज्ञान संकाय का छात्र कला व वाणिज्य का, वाणिज्य संकाय का विद्यार्थी विज्ञान व कला का तथा कला संकाय का विद्यार्थी विज्ञान व वाणिज्य का विषय लेने का पात्र नहीं है। यदि कोई छात्र अतिरिक्त विषय लेता है तो उस स्थिति में भी यही नियम लागू होगा।
3. प्रवेश की तिथियां :

कक्षा नौवीं में दाखिले की तिथियां	
सामान्य दाखिले	24 मार्च 2017 से 20 अप्रैल 2017 तक
संस्था के मुखिया की अनुमति द्वारा बिना विलम्ब शुल्क दाखिले	21 अप्रैल 2017 से 30 अप्रैल 2017 तक
संस्था के मुखिया द्वारा संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त करते हुए दाखिले	01 मई 2017 से 31 मई 2017 तक
कक्षा 11वीं में दाखिले की तिथियां	
प्रोविजनल दाखिले	1 अप्रैल 2017 से
सामान्य दाखिले	बोर्ड के द्वारा घोषित परिणाम के दस दिनों के अन्दर
संस्था के मुखिया की अनुमति द्वारा बिना विलम्ब शुल्क दाखिले	अगले 10 विद्यालयों दिवसों तक
संस्था के मुखिया द्वारा संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त करते हुए दाखिले	अगले 10 विद्यालयों दिवसों तक
इसके उपरान्त निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा की अनुमति के तहत	

4. बोर्ड द्वारा प्रवर्जन (माइग्रेशन) हेतु बनाए गए नामांकन संबंधी नियमों के अनुसार प्रवर्जन (माइग्रेशन) की तिथि से 20 दिन के अन्दर प्रवेश लिया जाना अनिवार्य है। ऐसे मामलों में छात्र का पूर्व विद्यालय में एस.एल.सी. जारी करने की तिथि तक उस कक्षा में अध्ययनरत होना आवश्यक है। इस प्रकार यदि कोई छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरान्त आगामी कक्षा में प्रवेश लिए बिना ही एस.एल.सी. जारी करवाकर प्रवेश के लिए आता है और यहां अपने प्रदेश में प्रवेश की तिथियां समाप्त हो चुकी हो तो इस अवस्था में 20 दिन की अवधि की गणना के आधार पर उसे प्रवेश नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार आगामी कक्षा में प्रवेश लेने उपरान्त यदि छात्र का विद्यालय से नाम कटने की स्थिति में जारी किए गए एस.एल.सी. के मामले में भी 20 दिन की अवधि मान्य नहीं होगी।

5. प्रायः यह देखा गया है कि अन्य राज्यों से परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए किसी छात्र को आगामी कक्षा में बिना समकक्षता की जानकारी के प्रवेश दे दिया जाता है और इसके बारे में बोर्ड कार्यालय से भी जानकारी हासिल नहीं की जाती। इस तरह के छात्रों के मामले जब नामांकन (एनरोलमेंट) के लिए आते हैं और यदि उस छात्र द्वारा उत्तीर्ण की गई उक्त परीक्षा इस बोर्ड के समकक्ष मान्यता प्राप्त नहीं होती तो ऐसी स्थिति में उसको नामांकन जारी नहीं होने पर संबंधित छात्र द्वारा न्यायालय में केस दायर कर दिया जाता है और उसमें बोर्ड कार्यालय को भी पार्टी बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में बोर्ड कार्यालय द्वारा भी वकील आदि नियुक्त किया जाता है और विद्यालय की गलती की वजह से बोर्ड का समय/आर्थिक हानि के साथ-साथ बोर्ड की छवि भी धूमिल होती है।

अतः सभी संबंधित संस्थाओं को ध्यान रहे कि यदि उनमें किसी अन्य राज्य का कोई छात्र प्रवेश लेने के लिए आता है तो उसको प्रवेश देने से पहले बोर्ड कार्यालय से परीक्षा की समकक्षता के बारे में जानकारी प्राप्त करके ही उसे प्रवेश दें। यदि कोई संस्था ऐसे मामलों में विनियमों की अनदेखी करके किसी अन्य राज्य के छात्र को प्रवेश देती है और उसकी मान्यता न होने के कारण उसका नामांकन जारी नहीं होता है तो उससे उत्पन्न स्थिति के लिए पूरी तरह से (विद्यालय) वही संस्था जिम्मेदार होगी।

6. कई बार देखा गया है कि बोर्ड द्वारा विद्यालयों को हिदायतें जारी की जाती हैं, लेकिन संस्थाओं द्वारा उसका पालन नहीं किया जाता तथा अनावश्यक रूप से कोर्ट केस होता है और उसमें बोर्ड को भी संस्था की गलती के कारण पार्टी बनाया जाता है तो इस प्रकार के केसों की पैरवी के लिए बोर्ड पर जो अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ेगा, उसका खर्च दोषी संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।
7. ऐसा भी देखा गया है कि कुछ छात्र इस बोर्ड/सी.बी.एस.ई. या अन्य बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा (कक्षा 10वीं) उत्तीर्ण करते हैं और यहां हरियाणा में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा निर्धारित कक्षा 11वीं में प्रवेश की शर्त पूरी नहीं करते, लेकिन वे सी.बी.एस.ई. या अन्य राज्य के बोर्ड से संबंधित विद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश लेते हैं और तत्पश्चात् कक्षा 12वीं में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से सम्बद्ध विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आ जाते हैं। अतः कक्षा 12वीं में सीधे तौर पर प्रवेश के लिए पात्रता की भी वही शर्तें लागू होंगी, जो कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए आवश्यक हैं। अतः कक्षा 12वीं में सीधे प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रवेश देते समय यह देख लिया जाए कि वे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से सम्बद्ध विद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश की पात्रता पूरी करते हैं या नहीं। यदि पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो ऐसे छात्रों को प्रवेश न दिया जाए।
8. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की माध्यमिक परीक्षा में केवल एक विषय में एस. टी.सी./एस.वाई.सी. वाले फ्रेश छात्र अर्थात् जिन द्वारा पहली बार मुक्त विद्यालय की परीक्षा दी गई है, 11वीं कक्षा में अस्थाई प्रवेश के पात्र हैं। जिन छात्रों का परिणाम एक से अधिक विषयों में एस.टी.सी./एस.वाई.सी. (Subject to be clear/Subject yet

cleared) घोषित हो, उन्हें 11वीं कक्षा में किसी भी स्थिति में प्रवेश न दिया जाए अर्थात् ऐसे छात्र प्रवेश के पात्र नहीं हैं। एक विषय में एस.टी.सी./एस.वाई.सी. वाले फ्रेश छात्रों को संस्था द्वारा इस शर्त पर अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा कि वे प्रवेश के बाद आगामी लगातार दो अवसरों में एस.टी.सी./एस.वाई.सी. उत्तीर्ण कर लेंगे। सी.टी.पी. के अन्तर्गत एक विषय में भी अनुत्तीर्ण छात्र 11वीं में अस्थाई प्रवेश का पात्र नहीं है।

9. हरियाणा मुक्त विद्यालय की सैकेण्डरी परीक्षा में फ्रेश छात्र के रूप में परीक्षा देने वाले छात्रों का परिणाम यदि एक विषयों तक रि-अपीयर घोषित है तो ऐसे छात्र 11वीं कक्षा में अस्थाई प्रवेश के पात्र हैं बशर्ते कि वे प्रवेश लेने उपरान्त आगामी लगातार दो अवसरों में उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लें अन्यथा उनका 11वीं कक्षा का प्रवेश/परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। सी.टी.पी. (Credit Transfer Policy) के अन्तर्गत परीक्षा देने वाले जो छात्र एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, 11वीं में अस्थाई प्रवेश के पात्र नहीं है।
10. हरियाणा मुक्त विद्यालय एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी उसी कक्षा अर्थात् कक्षा 10वीं/12वीं की परीक्षा में नियमित छात्र के तौर पर विद्यालयों में प्रवेश के पात्र नहीं हैं परन्तु यदि वे इन कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता की शर्त को पूर्ण करते हों अर्थात् उन द्वारा अधिकृत शिक्षण संस्था से कक्षा 9वीं/11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो व अन्य पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हों, तो उन्हें कक्षा 10वीं/12वीं में नियमित छात्र के तौर पर प्रवेश दिया जा सकता है।
11. एक स्थानीय/बाह्य विद्यालय से विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र (एस0एल0सी0) जारी करवाकर दूसरे स्थानीय/बाह्य विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अथवा दूसरे राज्य से एस0एल0सी0 जारी करवाकर हरियाणा राज्य में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थी को प्रवेश देते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि एस0एल0सी0 जारी करने वाली शिक्षण संस्था उस शैक्षिक सत्र में शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त थी व एस.एल.सी. का सत्यापन एस.एल.सी. जारी करने वाली शिक्षण संस्था से अवश्य करवाया जाए। एस.एल.सी. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी अथवा अन्य राज्यों के मामलों में समकक्ष शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। ऐसे विद्यार्थियों का यदि नामांकन नहीं हुआ है तो नामांकन हेतु आवेदन करते समय एस.एल.सी. के सत्यापन के संबंध में सत्यापन करने वाली शिक्षण संस्था द्वारा जारी पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाए व नामांकन का आवेदन करने वाली शिक्षण संस्था के मुखिया यह प्रमाण-पत्र भी देंगे कि उन द्वारा एस.एल.सी. का सत्यापन करवा लिया गया है और एस.एल.सी. सही है।
12. आयुक्त एवं महानिदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा के पत्र क्रमांक 5/160-205 सै0शि0 दिनांक 27.02.2006 के अनुसार सी.बी.एस.ई. या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो छात्र कम्पार्टमेंट अर्जित करते हैं, उन्हें अस्थाई प्रवेश देते समय यह लिखित में नोट करवाया जाए कि कक्षा 11वीं में प्रवेश के बाद उन्हें पूरक परीक्षा लगातार आगामी दो

अवसरों में ही उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा उनका परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। पूरक परीक्षा के तीसरे अवसर में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का कक्षा 11वीं कक्षा का परिणाम एवं पात्रता रद्द कर दी जाएगी।

13. यदि किसी छात्र को सी.बी.एस.ई. की माध्यमिक परीक्षा में पूरक परीक्षा देनी है और वह 11वीं कक्षा में सी.बी.एस.ई. के विद्यालय में प्रवेश लेता है तथा पूरक परीक्षा के तीसरे अवसर में उत्तीर्ण करता है और इस आधार पर सी.बी.एस.ई. की उक्त संस्था द्वारा उसका कक्षा 11वीं का परिणाम घोषित किया जाता है और उसके बाद वह हरियाणा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालय में 12वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आता है तो ऐसे छात्र को 12वीं कक्षा में प्रवेश न दिया जाए। यदि संस्था द्वारा ऐसे छात्र को 12वीं कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है और बोर्ड कार्यालय द्वारा उसका नामांकन क्रमांक जारी नहीं किया जाता है तो उसके लिए वह संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।
14. सी.बी.एस.ई. की विद्यालय स्तर की सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र भी इस बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश के पात्र हैं बशर्ते कि वे प्रवेश संबंधी अन्य शर्तें पूरी करते हों। इसके लिए बोर्ड कार्यालय से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। संस्था के मुखिया प्रमाण-पत्र का अवलोकन करने उपरान्त ऐसे विद्यार्थी को अपने स्तर पर प्रवेश दे सकते हैं।
15. 11वीं कक्षा में एक विषय में पी.ए.आर. (Partial achievement) (अनुत्तीर्ण) अर्जित करने वाले परीक्षार्थी भी 12वीं कक्षा में अस्थाई प्रवेश के पात्र हैं, परन्तु उनका अस्थाई प्रवेश तभी नियमित किया जाएगा/12वीं कक्षा का परीक्षाफल लेने के पात्र तभी होंगे यदि उन्होंने 11वीं कक्षा के पी.ए.आर. विषय को संबंधित शिक्षण संस्थान से 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम से पूर्व उत्तीर्ण कर लिया हो अन्यथा उनका 12वीं कक्षा में दिया गया अस्थाई प्रवेश व परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा।
16. जिन छात्रों का वार्षिक परीक्षा का परिणाम किन्हीं कारणों से विलम्ब से घोषित होता है (शुल्क के मामले को छोड़कर) वे परिणाम घोषित होने के 20 दिन के अन्दर आगामी कक्षा में प्रवेश के पात्र हैं। इसी प्रकार जिन छात्रों ने अन्य राज्यों के बोर्ड/संस्थाओं से वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे भी परिणाम घोषित होने के 20 दिन के अन्दर-अन्दर प्रवेश ले सकते हैं। इस संबंध में अन्य औपचारिकताएं विद्यालय स्तर पर जांची जानी हैं। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सैकेण्डरी परीक्षा में रि-अपीयर अर्जित करने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो शैक्षिक सत्र के आरम्भ में कक्षा 11वीं में प्रवेश के पात्र नहीं बनते लेकिन यदि वे पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो वे आगामी कक्षा में उसी प्रवेश सत्र में प्रवेश लेने के पात्र नहीं हैं, वे आगामी शैक्षिक सत्र में ही प्रवेश ले सकते हैं।
17. यदि कोई छात्र/छात्रा कक्षा 11वीं में उस शैक्षिक सत्र की 31 अक्टुबर या कार्यालय द्वारा निर्धारित की गई तिथि अनुसार अब विज्ञान से वाणिज्य अथवा कला संकाय तथा वाणिज्य से कला संकाय में संकाय/विषय परिवर्तन कर सकता है। कक्षा 12वीं में उसी शैक्षिक वर्ष

के 30 अप्रैल तक विज्ञान से वाणिज्य/कला तथा वाणिज्य से कला संकाय में/उसी संकाय का विषय परिवर्तन करने के लिए संस्था मुखिया को प्राधिकृत किया गया है।

18. प्रत्येक छात्र को वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करना आवश्यक है। इसमें 15 प्रतिशत उपस्थितियां पूरी करने के लिए संस्था के मुखिया प्राधिकृत हैं। यदि संस्था के मुखिया द्वारा उपस्थितियों की छूट देने पर भी निर्धारित 75% उपस्थिति पूरी नहीं होती हैं तो 10% तक उपस्थिति पूरी करने की छूट के लिए मामले संस्था द्वारा औचित्य एवं सिफारिश सहित बोर्ड कार्यालय में भेजने होंगे।
19. नामांकन की अंतिम तिथि के बाद यदि कोई छात्र अन्य राज्य से प्रवास होकर आता है तो उसे प्रवेश देने से पहले बोर्ड कार्यालय से स्वीकृति ली जाए क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि बहुत से विद्यालय प्रवास करने वाले छात्रों को प्रवेश दे देते हैं और बोर्ड कार्यालय को सूचित भी करना आवश्यक नहीं समझते और जब छात्र का रोल नं0 पहले वाले विद्यालय में चला जाता है, तब विद्यालय द्वारा केंद्र परिवर्तन बारे अनुरोध किया जाता है। उस समय केंद्र परिवर्तन के लिए आवेदन करने का समय भी नहीं रहता तथा उस अवस्था में कार्यालय को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि किसी विद्यालय द्वारा प्रवास मामले में बोर्ड कार्यालय से पूर्व अनुमति नहीं ली गई और बाद में मामला बोर्ड के ध्यान में लाया जाता है तो उसके लिए संबंधित विद्यालय जिम्मेदार होगा और उसके विरुद्ध शिक्षा विभाग को मामला भेज दिया जाएगा।
20. शैक्षिक सत्र 2017-18 के लिए सैकेण्डरी तक की विज्ञान प्रायोगिक पुस्तिका (जो पाठ्यक्रम को पूरा करती हो) संस्था के मुखिया अपने स्तर पर लगवा सकते हैं।
21. बोर्ड कार्यालय द्वारा कक्षा नौवीं एवं ग्यारहवीं की वार्षिक परीक्षा के लिए सभी विषयों के प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे।
22. बोर्ड नियमानुसार आवेदन-पत्र प्राप्त करने की बिना विलम्ब शुल्क व विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित अन्तिम तिथियां बदली व बढ़ाई नहीं जाएगी। अतः आवेदन-पत्र का समय पर जमा करवाना विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। विलम्ब शुल्क सहित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
23. आंशिक अंक सुधार की परीक्षा, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के तुरन्त आगामी अवसर में एवं पूर्ण विषयों की अंक सुधार की परीक्षा, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त एक वर्ष के अन्दर-अन्दर दी जा सकती है।
24. जो छात्र मार्च-2017 में यू.एम.सी. के कारण एक वर्ष के लिए या मार्च-2016 में दो वर्ष के लिए अयोग्य घोषित होंगे/हुए हैं, वे छात्र शैक्षिक सत्र 2017-18 में पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेकर मार्च-2018 में होने वाली वार्षिक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। इसके लिए पुनः प्रवेश हेतु अलग से विद्यालय के लिए पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

25. वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत नियमित रूप से परीक्षा देने वाले छात्रों की यदि परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होती है और पी.ए.आर./रि-अपीयर घोषित किया गया है तो ऐसे छात्र जब उन विषयों की परीक्षा सितम्बर-17/मार्च-18 में दोबारा देंगे तो उस स्थिति में उनके आन्तरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक के अंक पहले वाले ही माने जाएंगे।
26. जिन नियमित छात्रों को रि-अपीयर घोषित किया जाता है और वे रि-अपीयर की परीक्षा या अंक सुधार की परीक्षा देते हैं तो ऐसे छात्रों के सी.सी.ई. के पुराने अंक ही प्रमाण-पत्र में दर्शाए जाएंगे। ऐसे छात्रों के सी.सी.ई. के अंक दोबारा नहीं मंगवाए जाएंगे।
27. सैकेण्डरी एवं सी0सै0 कक्षाओं में सी.सी.ई. के अंकों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा तैयार करके समुचित रिकार्ड कम से कम एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना है ताकि बोर्ड/शिक्षा विभाग की समितियों द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान रिकार्ड की जांच की जा सके।
28. जो नियमित छात्र प्रायोगिक विषय अतिरिक्त विषय के तौर पर लिए हुए थे और वे उस अतिरिक्त विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं और वे उस अतिरिक्त विषय की परीक्षा दोबारा (एक वर्ष तक) देंगे तो उनके प्रायोगिक के अंक पहले वाले माने जाएंगे तथा उन द्वारा लिखित परीक्षा में जो अंक अर्जित किए जाएंगे, उसी औसत में उनके सी.सी.ई. के अंक दर्शाए जाएंगे।
29. प्रायोगिक विषयों में रि-अपीयर अर्जित करने वाले छात्रों को उस विषय के उसी भाग जिसमें वे अनुत्तीर्ण हैं, उसी की परीक्षा देनी होगी अर्थात् यदि कोई लिखित में पास लेकिन प्रायोगिक में अनुत्तीर्ण है तो उसे केवल प्रायोगिक की ही परीक्षा देनी होगी तथा लिखित में अनुत्तीर्ण होने वालों को केवल लिखित की ही परीक्षा देनी होगी।
30. जो छात्र अपनी उत्तरपुस्तिकाओं की पुनः जांच/पुनःमूल्यांकन करवाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद 20 दिन के अन्दर-अन्दर केवल ऑन-लाईन भरे जाएंगे। डाक द्वारा या दस्ती कोई भी फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। 20 दिन की अवधि में परिणाम घोषणा की तिथि शामिल नहीं है।
31. सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी (तीनों संकायों में) इस बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में से सम्पूर्ण हरियाणा प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को गोल्ड प्लेटिड, सिल्वर मैडल व 25000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये) तथा द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता को सिल्वर मैडल व 15000/- रुपये (पंद्रह हजार रुपये) देने का निर्णय लिया गया है। इन कक्षाओं पूरे प्रदेश में लड़कियों में प्रथम आने वाली छात्रा को डॉ0 कल्पना चावला अवार्ड व 25000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये) दिए जाएंगे। इस बोर्ड से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालयों में सैकेण्डरी एवं सी.सै. (तीनों संकायों में) प्रथम व द्वितीय आने वाले छात्र/छात्राओं को भी उपर्युक्त अनुसार ही पुरस्कार दिया जाएगा।
32. छात्रों को निर्धारित योजना अनुसार ही विषयों का चयन करवाया जाए। यदि किसी विद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्य योजना अनुसार चयन नहीं करवाया गया और बोर्ड

कार्यालय द्वारा संबंधित छात्र का अनुक्रमांक जारी नहीं किया जाता है तो इसके लिए संबंधित संस्था ही जिम्मेदार होगी। यदि कोई छात्र अतिरिक्त विषय भी लेता है तो वह भी उसी संकाय का होना चाहिए।

33. पुनः जांच शुल्क 250/- रुपये (दो सौ पचास रुपये) प्रति उत्तरपुस्तिका निर्धारित है।
34. पुनर्मूल्यांकन शुल्क 1000/-रुपये प्रति उत्तरपुस्तिका होगा।
35. पुनर्मूल्यांकन में यदि किसी विषय में अंक कम होंगे तो उसके कम हुए अंक मान्य होंगे पहले अर्जित किए गए अंक मान्य नहीं होंगे।
36. सैकेण्डरी के प्रमाण पत्रों में उन्हीं 5 विषयों का योग दर्शाया जाएगा, जिसमें छात्र के सर्वोत्तम अंक है।
37. कोई भी छात्र परीक्षा परिणाम घोषित होने के 60 दिन के अन्दर-अन्दर 500/- रुपये (पांच सौ रुपये) प्रति उत्तरपुस्तिका व Under Taking का फार्म भरकर अपनी उत्तरपुस्तिका की फोटो प्रति ले सकता है।
38. शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित कुछ विद्यालयों में NSQF के 14 विषयों का अध्यापन करवाने की अनुमति दी गई है, जिनका विवरण पाठ्य योजना में दर्शाया गया है। इसलिए जिन विद्यालयों में इन विषयों को पढ़ाने की अनुमति है, वे विद्यालय ही छात्रों को ये विषय लेने की स्वीकृति दें, अन्य विद्यालय नहीं। इन विषयों की लिखित परीक्षा का प्रश्न-पत्र 60 अंकों का होगा। छात्र प्राप्तांकों को 30 अंकों के आधार पर आनुपातिक रूप से दर्शाया जाएगा।

(ग) हरियाणा मुक्त विद्यालय संबंधी सूचना

1. मार्च/अप्रैल-2017 में अनुत्तीर्ण छात्र यदि परीक्षा पुनः देना चाहेंगे तो उन्हें उसी कक्षा में प्रवेश लेकर परीक्षा देनी होगी या ऐसे छात्र हरियाणा मुक्त विद्यालय की सी.टी.पी. (Credit Transfer Policy) प्रणाली के अन्तर्गत परीक्षा दे सकते हैं, यदि वे कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हैं।
2. हरियाणा मुक्त विद्यालय की दोनों परीक्षाओं में C.T.P./S.T.C./Re-appear छात्रों के प्रायोगिक विषयों के प्रायोगिक उत्तीर्ण अंक पुराने वाले ही माने जाएंगे तथा छात्रों को दोबारा प्रायोगिक परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. कोई भी छात्र जिसके द्वारा इस बोर्ड से या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है, हरियाणा मुक्त विद्यालय, भिवानी से अतिरिक्त विषय के रूप में परीक्षा दे सकता है, जो विषय उस द्वारा मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण न किए गए हो।
4. हरियाणा मुक्त विद्यालय, भिवानी के पूर्ण विषयों के फ्रेश छात्र, जो निर्धारित अवधि में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकेंगे, उन्हें भी सी.टी.पी. का लाभ दिया जाएगा।

5. हरियाणा मुक्त विद्यालय, भिवानी परीक्षाओं में भी प्रथम, द्वितीय आने वाले परीक्षार्थियों को गोल्ड/सिल्वर मैडल तथा लड़कियों में प्रथम लड़की को कल्पना चावला अवार्ड दिया जाएगा।

(घ) अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां

1. बोर्ड कार्यालय द्वारा अवार्ड देने के लिए मैरिट की गणना अंकों के आधार पर निकाली जाती है।
2. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी सैमेस्टर परीक्षा मार्च-2016 में प्रथम एवं द्वितीय सैमेस्टर की परीक्षा में पी.ए.आर. घोषित छात्रों का सैमेस्टर प्रणाली से परीक्षा उत्तीर्ण करने का अन्तिम अवसर मार्च-2017 है यदि वे छात्र मार्च-2017 में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो वे सितम्बर-2017 व मार्च-2018 में आंशिक/पूर्ण अंक सुधार की परीक्षा सैमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत दे सकते हैं। जो छात्र मार्च-2017 की सैमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे तो उन्हें मुक्त विद्यालय से वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत परीक्षा दे सकते हैं।
3. सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी सैमेस्टर मार्च-2016 की परीक्षा में पी.ए.आर. प्राप्त परीक्षार्थी यदि आगामी दो अवसरों (अन्तिम अवसर मार्च-2017) में पी.ए.आर. उत्तीर्ण कर लेते हैं तथा मार्च-2017 की सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी सितम्बर-2017 में केवल एक ही विषय में (प्रथम व द्वितीय सैमेस्टर) अंक सुधार की परीक्षा होगी तथा मार्च-2018 में पूर्ण विषय की अंक सुधार (प्रथम व द्वितीय सैमेस्टर) की परीक्षा दे सकता है।
4. मार्च-2017 की सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी सितम्बर-2017 में केवल एक ही विषय में तथा मार्च-2018 में पूर्ण अंक सुधार की परीक्षा दे सकता।
5. यदि कोई छात्र सैकेण्डरी में हिंदी विषय में अनुत्तीर्ण लेकिन छठे विषय संस्कृत में उत्तीर्ण है तो उसे हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक नहीं है। ऐसे छात्रों को सैकेण्डरी में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है और उन्हें 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए हिंदी विषय उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
6. कुछ विद्यालय छात्रों को सी.सी.ई. में अनुपस्थित/शून्य अंक दर्शाते हुए अवार्ड सूची भेजते हैं। जबकि सी.सी.ई. में किसी भी छात्र को अनुपस्थित/शून्य नहीं दर्शाया जा सकता क्योंकि वह सत्त एवं व्यापक मूल्यांकन है, जो पूरे वर्ष चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए जो छात्र विद्यालय में पूरे शैक्षिक सत्र में उपस्थित होता है, उसे किसी भी हालत में अनुपस्थित नहीं दर्शाया जाना चाहिए। इस कार्यालय द्वारा सी.सी.ई. के संदर्भ में जो निर्देश पहले भेजे हुए हैं, उनके अनुसार छात्रों को अंक दिए जाने हैं। यदि किसी विद्यालय द्वारा उनकी उल्लंघना की जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जाएगा।
7. सी.सी.ई. प्रणाली के अन्तर्गत खेलों व अन्य क्रियाकलापों के लिए दिए जाने वाले ग्रेड का विवरण इस प्रकार है :

Sr. No.	Co-curricular Activities	Grade for Participation	Grade for Position holder
	Level		
1.	School	D	C
2.	Block	C	B
3.	District	B	A
4.	State	A	A+
5.	National	A+	A++

8. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/ओपन)/डी.एड. परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन तथा शुल्क परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन के अन्दर-अन्दर केवल ऑनलाईन प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। पुनर्मूल्यांकन शुल्क 1000/- रुपये प्रति उत्तरपुस्तिका है व पुनर्मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा में ही करवाया जा सकता है। यदि किसी परीक्षार्थी का किसी विषय में एक अंक भी बढ़ेगा तो वह अंक भी उसके कुल अंकों में जोड़ा जाएगा। इसी तरह यदि पुनर्मूल्यांकन में किसी विषय में अंक कम होंगे तो उसके कम हुए अंक ही मान्य होंगे पहले अर्जित किए गए अंक मान्य नहीं होंगे। परीक्षार्थी को पुनर्मूल्यांकन की सुविधा केवल उत्तरपुस्तिका उपलब्ध होने की स्थिति में ही दी जाएगी।
9. बी.पी.एल. परिवार से सम्बन्धित छात्रों का सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का 800/- रुपये प्रति उत्तरपुस्तिका शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके लिए परीक्षार्थी को बी.पी.एल. कार्ड की प्रमाणित प्रति लगानी होगी।
10. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/ओपन) तथा डी0एड0 की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के अंकन व प्रायोगिक परीक्षा के लिए दरों का विवरण इस प्रकार है :

Sr. No.	Particular	Rates
1.	Secondary Exam (Academic/Open)	Rs. 12/- Per A/Book
2.	Remuneration of Secondary (Academic/Open) practical exam	Rs. 10/- Per Candidate
3.	Co-ordination Fee to H.E. for Secondary (Academic/Open) Exam	Rs. 100/- Per S.E.
4.	Sr. Secondary Exam (Academic/Open) and D.Ed	Rs. 14/- Per A/Book
5.	Remuneration of Senior Secondary (Academic/Open) and D.Ed. practical exam	Rs. 10/- Per Candidate
6.	Co-ordination Fee to H.E. for Sr. Secondary (Academic/Open) and D.Ed.	Rs. 100/- Per S.E.
7.	Checking Assistant	Rs. 1.25/- paise per A/Book
8.	Remuneration of Controller	Rs. 250/- Per day (Maximum 3000/-)
9.	Remuneration of clerk	Rs. 100/- Per day

10.	Remuneration of Peon/Chowkidar/Sweeper	Rs. 75- Per day
11.	T.A./D.A.	D.A. Rs. 40/- Per day Flat Rate who will be entitle to T.A. as per rule
12.	Local Mileage	Rs. 20/- Per day who will not be entitle to TA/DA as per rule
13.	Tea/Snack	Rs. 25/- Per day, Per Head
14.	Stationary Expenditure	Rs. 1000/- Lump sum

माइग्रेशन (प्रवर्जन)

1. एस.एल.सी. जारी करने वाली संस्था एस.एल.सी पर उक्त छात्र की उपस्थितियां, सी.सी. ई. के अंक तथा यूनिट टैस्ट के अंक तथा एनरोलमेंट आदि सम्पूर्ण विवरण प्रवेश देने वाली संस्था को उपलब्ध करवाएगी।
2. 9वीं एवं 11वीं में पढ़ने वाले छात्रों को यदि किन्हीं कारणों से विद्यालय परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए बोर्ड से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और यदि दोनों संस्थाओं के मुखिया आपस में सहमत हैं तो माइग्रेशन किया जा सकता है।
3. कक्षा 10वीं व 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को यदि किन्हीं कारणों से विद्यालय परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है तो परीक्षा आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में भेजने से पूर्व तक संस्था के मुखिया प्राधिकृत हैं तथा इसके बाद इसके लिए बोर्ड से स्वीकृति लेनी होगी।

(ड़) सामान्य

1. बोर्ड कार्यालय को गत वर्ष में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ निजी विद्यालयों द्वारा कुछ विद्यार्थियों को केवल परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से प्रविष्ट किया हुआ था। ऐसा किया जाना नियम विरुद्ध था, इसलिए ऐसे अपात्र परीक्षार्थियों के परीक्षाफल बोर्ड द्वारा घोषित नहीं किए गए और जांच उपरान्त ऐसे विद्यालयों की मान्यता व सम्बद्धता रद्द करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की गई। अतः सभी विद्यालयों के मुखिया सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय में ऐसी अनियमितताएं किसी भी स्तर पर न हो पाएं अन्यथा बोर्ड द्वारा ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही की जाएगी और ऐसी अनियमितताओं में संलिप्त विद्यालयों की मान्यता व सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
2. नियमित छात्रों के संदर्भ में केवल उस संस्थान से ही पत्र व्यवहार किया जाएगा, जिसमें वे अध्ययन करते हैं। ऐसे छात्रों से बोर्ड का कोई सीधा पत्र व्यवहार नहीं होगा। अतः उक्त छात्रों की किसी भी त्रुटि की सूचना के लिए संबंधित संस्थान जिम्मेदार होगा।
3. बोर्ड कार्यालय को ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि कुछ विद्यालय अपना दाखिला एवं खारिज रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, पेस्ट फाइल, शुल्क संबंधी रिकार्ड इत्यादि नियमित रूप से तैयार नहीं करते। सभी संस्थाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि वांछित रिकार्ड

नियमानुसार तैयार हो और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के आवेदन-पत्र प्रति-हस्ताक्षरित करते समय संबंधित विद्यालय का रिकार्ड देखा जाएगा।

4. शिक्षा बोर्ड से संबंधित किसी भी कार्य हेतु आपके सुझाव आमंत्रित हैं। यदि गोपनीय रूप से कोई शिकायत बोर्ड कार्यालय में दी जाती है तो शिकायतकर्ता अपने पूरे नाम व पते के साथ शिकायत में दिए जा रहे तथ्यों की पुष्टि हेतु एक शपथ पत्र भी संलग्न करेंगे।
5. जैसा प्रवेश पात्रता की शर्तों में उल्लेख किया गया है कि कक्षा 10वीं में प्रवेश हेतु विद्यार्थी द्वारा 9वीं कक्षा व कक्षा 12वीं हेतु 11वीं कक्षा उत्तीर्ण की हुई हो, इस संबंध में अतीत में बोर्ड के नोटिस में आई अनियमितताओं के दृष्टिगत सभी विद्यालयों के मुखिया प्रवेश की अनुमति देते समय यह सुनिश्चित करें कि प्रवेश हेतु पिछली कक्षा को उत्तीर्ण करने के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा प्रमाण-पत्र/विद्यालय त्याग पत्र वास्तव में उस शैक्षिक सत्र में मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा जारी किया गया है और उसका सत्यापन आदि भी नियमानुसार करवाना भी सुनिश्चित किया जाए।

जो छात्र सीधे तौर पर कक्षा 10वीं/12वीं की स्वयंपाठी परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हैं, ऐसे छात्रों को प्रवेश न दिया जाए, यदि उन द्वारा कक्षा 9वीं/11वीं परीक्षा उत्तीर्ण न की गई हो।

6. विद्यालयों से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों में विद्यार्थी द्वारा विकल्प में दिए गए विषयों/विषय कोड को ध्यानपूर्वक न भरने से अनावश्यक रूप से विषय शुद्धि हेतु आवेदन प्राप्त होते हैं, जिससे परीक्षार्थियों व अभिभावकों को अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अतः विद्यालयों के मुखियाओं को पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि भविष्य में अपने विद्यालय से संबंधित छात्रों के विषयों के कोड नम्बर निर्धारित कालम में ध्यानपूर्वक ठीक भरकर भेजें ताकि छात्रों के विषय गलत पंच न हों। ध्यान रहे कि अंतिम तिथि के बाद आवेदन-पत्र में किसी भी प्रकार की शुद्धि/परिवर्तन विषय शुद्धि (सहित) अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

7. बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकों का ही विद्यालयों में अध्ययन करवाएं तथा छात्रों को किसी निजी प्रकाशक की कोई भी पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए अन्यथा संस्था व उसके मुखिया/संबंधित अध्यापक के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
8. जिन बोर्ड्स/संस्थानों की परीक्षा को उच्च कक्षा में प्रवेश हेतु समकक्ष मान्यता दी गई है, उनकी सूची बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है।

SCHEME OF STUDIES 2017-2018
SECONDARY SCHOOL EXAMINATION

Sr. No.	Name of the subject	Maximum Marks in theory	Maximum Marks in practical	CCE	Total Marks
1.	Hindi (First Language)	80	-----	20	100
2.	English (Second Language)	80	-----	20	100
3.	Mathematics	80	-----	20	100
4.	Social Science	80	-----	20	100
5.	Science	60	20	20	100
6.	Any one of the following :	80	---	20	100
	A) Third Language (any one out of Sanskrit/ Punjabi/ Urdu)				
	B) Home Science	60	20	20	100
	C) Agriculture	60	20	20	100
	D) Animal Husbandry	60	20	20	100
	E) Drawing	60	20	20	100
	F) Music	20	60	20	100
	G) Dance	20	60	20	100
	H) Physical and Health Education	60	20	20	100
	I) Computer Science	40	40	20	100
	J) Any one of the following subject :	30	50	20	100
	(i) ITES, (ii) Automobile, (iii) Security Services, (iv) Retail Industry Business, (v) Beauty and Wellness, (vi) Physical Education and Sports, (vii) Patient Care Assistance, (viii) Agri-Paddy Farming, (ix) Tourism-Hospitality-Travel, (x) Media-Animation, (xi) Banking & Finance Services, (xii) Banking Insurance, (xiii) Apparel Designing, (xiv) Vision Technician				

SUBJECTS OF INTERNAL ASSESSMENT TO BE SENT BY SCHOOLS

7. General Awareness & Life Skills:-

8. Co-curricular Activities:

a) Sports and Games

b) Cultural/Literary/Scientific Activities/NCC/Scouts and Guides

Notes :

1. Blind student will not be allowed to opt for Drawing as subject of study. They shall also be exempted from Practical Examination except in music. In such cases, the marks in theory papers shall be proportionately increased.
2. Blind candidates shall be exempted from Geometry part of Mathematics and the marks in Algebra part shall be proportionately increased.
3. Deaf & Dumb, Dyslexia and spastic candidates will be exempted from one of the two compulsory languages.

SCHEME OF STUDIES 2017-2018
SENIOR SECONDARY CERTIFICATE EXAMINATION

A) COMPULSORY SUBJECTS

Sr. No.	Name of the subject	Maximum Marks in theory	Maximum Marks in practical	CCE	Total Marks
1.	English (Core/Elective)	80	----	20	100
2.	Hindi(Core/Elective) (Only for Humanities group) (English special for foreign Students in lieu of Hindi Core)	80	----	20	100
3.	General Awareness & Life Skills (Internal Assessment grading on five point scale)	Grades	Grades	Grades	Grades
4.	Co-curricular Activities (a) Sports and Games (b) Cultural / Literacy/ Scientific activities/ NCC/Scouts & Guides	Grades	Grades	Grades	Grades
5	Computer Education	----	----	----	----

नोट : शिक्षा विभाग द्वारा MIS Portal पर जो विषय दर्शाए गए हैं, उसी अनुसार ही विद्यार्थियों को विषय का चयन करना आवश्यक है।

B) OPTIONAL SUBJECTS

HUMANITIES GROUP (Any three out of these subjects)

Sr. No	Name of the subject	Maximum Marks in theory	Maximum Marks in practical	CCE	Total Marks
1.	Sanskrit/Urdu/Punjabi	80	---	20	100
2.	History	80	---	20	100
3.	Political Science	80	---	20	100
4.	Economics	80	---	20	100
5.	Sociology	80	---	20	100
6.	Philosophy	80	---	20	100
7.	Mathematics	80	---	20	100
8.	Public Administration	80	---	20	100
9.	Geography	60	20	20	100
10.	Psychology	60	20	20	100
11.	Physical Education	60	20	20	100
12.	Agriculture	60	20	20	100
13.	Home Science	60	20	20	100
14.	Military Science	60	20	20	100
15.	Computer Science	40	40	20	100
16.	Music	30	50	20	100
17.	Dance	30	50	20	100
18.	Fine Arts (Painting/Graphics/Sculpture/Applied Arts/CommercialArts)	30	50	20	100
19.	Only Any one out of A & B of the following subjects : A. ITES, Automobile,Security	30	50	20	100

Services, Retail Industry Business, Beauty and Wellness, Physical Education and Sports, Patient Care Assistance (Only for NSQF Selected School) B. OSS Hindi, OSS English (All over Haryana where OSSH or OSSE already exists.)	60	20	20	100
--	----	----	----	-----

नोट : शिक्षा विभाग द्वारा MIS Portal पर जो विषय दर्शाए गए हैं, उसी अनुसार ही विद्यार्थियों को विषय का चयन करना आवश्यक है।

COMMERCE GROUP (Any four out of these subjects)

Sr. No.	Name of the Subject	Maximum marks in theory	Maximum marks in practical	CCE	Total Marks
1.	Hindi (Core/Elective)/Sanskrit/Urdu/ Punjabi	80	----	20	100
2.	Business Studies	80	---	20	100
3.	Economics	80	---	20	100
4.	Mathematics	80	---	20	100
5.	Accountancy	60	20	20	100
6.	Entrepreneurship	60	20	20	100
7.	Computer Science	40	40	20	100
8.	Only Any one out of A & B of the following subjects :				
	A. ITES, Automobile, Security Services, Retail Industry Business, Beauty and Wellness, Physical Education and Sports, Patient Care Assistance (Only for NSQF Selected School) B. OSS Hindi, OSS English (All over Haryana where OSSH or OSSE already exists.)	30	50	20	100
		60	20	20	100

नोट : शिक्षा विभाग द्वारा MIS Portal पर जो विषय दर्शाए गए हैं, उसी अनुसार ही विद्यार्थियों को विषय का चयन करना आवश्यक है।

SCIENCE GROUP (Any four out of these subjects)

Sr. No.	Name of the Subject	Maximum Marks in theory	Maximum Marks in practical	CCE	Total Marks
1.	Hindi (Core/Elective)/Sanskrit/ Urdu/ Punjabi	80	----	20	100
2.	Mathematics	80	---	20	100
3.	Physics	60	20	20	100
4.	Chemistry	60	20	20	100
5.	Biology	60	20	20	100
6.	Home Science	60	20	20	100
7.	Agriculture	60	20	20	100
8.	Geography	60	20	20	100
9.	Biotechnology	60	20	20	100
10.	Computer Science	40	40	20	100
11.	Any one of the following subjects : (i) ITES, (ii) Automobile, (iii) Security Services, (iv) Retail Industry Business, (v) Beauty and Wellness, (vi) Physical Education and Sports, (vii) Patient Care Assistance	30	50	20	100

Scheme of Studies exclusively for the students of Centre of Excellence

“जिला फरीदाबाद स्थित राज्य स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की पाठ्ययोजना में 2015-16 से सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी स्तर पर NSQF के दो विषय सम्मिलित करने उपरान्त केवल इस संस्थान की पाठ्ययोजना निम्न प्रकार से होगी:

At Secondary Level :

As per the existing Scheme of Studies, the following subjects are mainly offered :

1. Hindi 2.English 3.Mathematics 4.Social Studies 5.Science 6.Any one of the following :
 - a) Third Language.
(Any one out of Sanskrit/Punjabi/Urdu)
 - b) Home Science
 - c) Agriculture
 - d) Animal Husbandry
 - e) Drawing
 - f) Music
 - g) Dance
 - h) Physical and Health Education
 - i) Computer Science
 - j) Any one of the following subjects :
ITES, Automobile, Security Services, Retail Industry Business, Beauty and Wellness, Physical Education and Sports, Patient Care Assistance, Agri-Paddy Farming, Tourism-Hospitality-Travel, Media-Animation, Banking & Finance Services, Banking Insurance, Apparel Designing, Vision Technician.

(There are 10 options including NSQF subjects)

For the students of "Centre of Excellence" where we have to offer two compulsory subjects of NSQF, the Scheme of Studies recommended for this purpose is as follows :

1. Hindi 2.English 3.IT&ES 4 Any other subject under NSQF 5. Mathematics 6.Social Science 7.Science.

Thus there will be seven subjects to study and qualify.

At Sr. Secondary Level :

As per the present Scheme of Studies, the following main subjects are compulsory to qualify in the three streams :

Humanities: 1.English 2.Hindi

Commerce : 1.English

Science : 1.English

In total a student has to qualify in at least five subjects including the compulsory subjects.

Now if two subjects of NSQF are to be offered in all the three streams for the students of Centre of Excellence, the Scheme of Studies for this purpose is recommended as follows :

Humanities : 1.English 2.Hindi 3.IT&ES 4.Any other subject under NSQF 5.Other elective 6. Other elective (History, Political Science, Geography, Home Sce., Mathematics, Economics)

Commerce : 1.English 2.IT&ES 3.Any other subject under NSQF 4. Accountancy 5.Business Studies 6. Other Elective (Economics/Mathematics)

Science : 1.English 2.IT&ES 3.Any other subject under NSQF 4.Physics 5.Chemistry 6. Other Elective (Biology/Mathematics)

Notes :

- i) In Science/Commerce Groups, English (Core or Elective) is compulsory. In addition, a candidate can opt for one more language at the most.
- ii) In Humanities Group both English (Core/Elective) and Hindi (Core/Elective) are compulsory. In addition a candidate can opt for one more language at the most.
- iii) Regular candidates are free to opt for any additional subject/s only within stream. However, it is optional and need not to be taken compulsory.
- iv) A blind candidate shall be exempted from practical examination except in Music & dance and in case of such exemption, the marks in theory papers shall be proportionately increased.
- v) The Board shall lay down detailed syllabi in various subjects and prescribe/approve/recommend textbooks for study in the subjects.

“Centre for Excellence through Art and Design (CEAD), नाथूपुर गुडगाँव की पाठ्य योजना निम्न प्रकार से है :

सैकेण्डरी स्तर :

1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. गणित 4. विज्ञान 5. सामाजिक अध्ययन 6 व 7. निम्न में से कोई दो : (Dance, Music, Visual Arts, Theatre, Media & Entertainment)

सी0 सैकेण्डरी स्तर :

कला संकाय :

1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3 व 4. निम्न में से कोई दो : (संगीत, नृत्य, विजुअल आर्ट्स, थिएटर (ड्रामा). 5. History and Appreciation of Arts 6. Media & Entertainment.

मानविकी संकाय :

1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3 व 4. निम्न में से कोई दो : (इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, संगीत, नृत्य व ललित कला). 5 व 6. निम्न में से कोई दो : (Visual Arts, Theatre, Media & Entertainment)

वाणिज्य संकाय :

1. अंग्रेजी 2. व्यवसाय अध्ययन 3. लेखांकन 4. गणित/अर्थशास्त्र 5 व 6. निम्न में से कोई दो : (Dance, Music, Visual Arts, Theatre, Media & Entertainment).

विज्ञान संकाय :

1. अंग्रेजी 2. भौतिकी 3. रसायन 4. गणित/जीव विज्ञान 5 व 6. निम्न में से कोई दो : (Dance, Music, Visual Arts, Theatre, Media & Entertainment).

Note :

1. For Secondary classes : “A student may take up either Dance or Theatre or Music in lieu of subjects like Math & Science.”
2. For Senior Secondary classes : “A Student may take up Theatre or Dance or Visual Arts or Music etc as subjects in the Humanities/Arts Stream, However Hindi and English will be compulsory.”

अन्य महत्वपूर्ण

1. NSQF के अन्तर्गत विषयों के प्रश्न-पत्र 60 अंकों के होंगे तथा रिजल्ट टेबुलेशन 30 अंकों के आधार पर होगा। इन विषयों का संचालन NSQF प्रोजेक्ट के अन्तर्गत संचालित चयनित विद्यालयों में ही होगा अर्थात् अन्य विद्यालयों में नहीं। उल्लेखनीय है कि फरीदाबाद स्थित राज्यस्तरीय उत्कृष्टता केंद्र से अतिरिक्त विद्यालय का कोई भी परीक्षार्थी वर्णित विषयों में से केवल एक विषय को ही ले सकेगा।

CRITERIA FOR QUALIFYING

I. SECONDARY

In order to earn the Certificate of Qualification, a candidate will have to qualify in the following five subjects of external examination separately :

- i) Hindi (First Language),
- ii) English (Second Language),
- iii) Mathematics,
- iv) Social Science and
- v) Science and Technology.

In order to qualify in a subject, he/she will have to obtain at least 33% marks (marks in external examination + marks in CCE + marks in Practicals) provided that he/she obtains at least 33% marks separately in the external examination obtains at least 33% marks separately in Practicals, if any there will be no minimum pass marks for CCE (For the subject in which there is only internal assessment, grades will be shown in the certificate but there will be no minimum grade required for qualifying)

Note :

1. If a candidate qualifies in all the 6 subjects, then the best scoring 5 subjects of external examination will be counted for determining aggregate marks/Grade Point Average, i.e. the subject in which one has obtained the least marks will not be counted. In case more than one subject has the same least marks, then the subject not to be counted will be in the following order of priority: Social Science, Science & Technology, Mathematics, Hindi, English.
2. If a candidate does not qualify either in theory paper or practical paper and vice-versa, he will have to re-appear/compartament only in the particular paper i.e. if he has failed in theory paper his practical marks attained previously will be considered as such and vice-versa
3. In case of best five formula, marks not grades will be considered only of the five subjects in which candidate has attained maximum marks.
4. Further, if a candidate does not qualify in Hindi, but qualifies in Sanskrit as sixth subject, then Sanskrit can replace Hindi for earning the certificate of Qualification.

I. GRACE

1% grace (per subject appeared) will be given for qualifying (i.e. for getting 33% marks) in as many subjects as possible, and not for improving grade. (Other provisions that exist in the Regulations regarding Grace will remain in force as such)

II. Compartament

Candidates will be placed under compartament in one subject in which they do not qualify. However, they will be given two chances in the next two subsequent examinations i.e. in September and March to clear the examination.

If he/she does not clear the subject of compartament in all two chances, he/she shall be declared 'not qualified' and will not be allowed to compartament.

II. SENIOR SECONDARY :

In order to earn the Certificate of Qualification, a candidate will have to qualify in all five subjects of external examination separately.

In order to qualify in a subject, he/she will have to obtain at least 33% marks in the

aggregate of external examination, CCE & Practicals provided that he/she obtains at least 33% marks separately in the external examination obtains at least 33% marks separately in practicals, if any there will be no minimum pass marks for CCE (For subjects in which there is only internal assessment, grades will be shown in the certificate but there will be no minimum grade required for qualifying)

Note :

1. In case one qualifies in all 6 subjects (including additional subject), then the marks obtained in the best scoring 4/5 subjects (excluding the compulsory subjects, i.e. Hindi and/or English depending on the stream) will be counted for determining GPA/Aggregate marks, i.e. the main optional subject in which one has obtained the least marks will be replaced by the Additional subject.
2. If a candidate does not qualify either in theory paper or practical paper and vice-versa, he will have to re-appear/compartament only in the particular paper i.e. if he has failed in theory paper his practical marks attained previously will be considered as such and vice-versa
3. In case of best five formula marks not grades will be considered only of the five subjects in which candidate has attained maximum marks.

I. GRACE

1% grace (per subject appeared) will be given for qualifying (i.e. for getting 33% marks) in as many subjects as possible, and not for improving grade. (Other provisions that exist in the Regulations regarding Grace will remain in force as such)

II. Compartment

- (i) Candidates will be placed under compartment in one subject in which they do not qualify. However, they will be given two chances in the next two subsequent examinations i.e. in September and March to clear the examination.
- (II) If a candidate not qualified in more than one subject. He will be declared not qualified in the whole examination.
- (iii) If he/she does not clear the subject of compartment in all two chances, he/she shall be declared 'not qualified' and will not be allowed to compartment.

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
वार्षिक परिपत्र 2017-18

Revised

शैक्षिक सत्र 2017-2018 के लिए कक्षा नौवीं से बारहवीं तक लागू पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकों की सूची :

कक्षा नौवीं		
क्रम संख्या	विषय का नाम	पुस्तक का नाम
1.	हिन्दी	1. क्षितिज भाग-1 (ह.वि.शि.बो.) 2. कृतिका भाग-1 (हिंदी पूरक) (ह.वि.शि.बो.)
2.	English	3. Beehive (English Textbook) (ह.वि.शि.बो.) 4. Moments English (Suppl. Reader) (ह.वि.शि.बो.)
3.	गणित	5. गणित (ह.वि.शि.बो.)
4.	सामाजिक विज्ञान	6. भारत और समकालीन विश्व-1 (इतिहास) (ह.वि.शि.बो.) 7. समकालीन भारत-1 (भूगोल) (ह.वि.शि.बो.) 8. अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान (ह.वि.शि.बो.)
5.	विज्ञान	9. विज्ञान (ह.वि.शि.बो.)
6.	उर्दू	10. जान पहचान भाग-4 (द्वितीय भाषा) (NCERT)
7.	पशु पालन	11. पशु विज्ञान भाग-1 (ह.वि.शि.बो.) 12. पशु विज्ञान प्रायोगिक पुस्तिका भाग-2 (ह.वि.शि.बो.)
8.	पंजाबी	13. साहित्यिक किरणा भाग-1 (सी.बी.एस.ई.) 14. साहित्य रंग भाग-1 (सी.बी.एस.ई.)
9.	संस्कृत	15. शंभुषी भाग-1 (ह.वि.शि.बो.)
10.	ITES	16. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
11.	ऑटोमोबाइल	17. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
12.	सिक्वोरिटी सर्विसिज	18. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
13.	रिटेल इण्डस्ट्री बिजनेस	19. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
14.	ब्यूटी एवं वैलनेस	20. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
15.	फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स	21. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
16.	पेशेंट केयर एसिस्टेंस	22. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
17.	एग्री पैडी फार्मिंग	23. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
18.	टुरिजम हॉस्पिटैलिटी ट्रेवल	24. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
19.	मिडिया एनीमेशन	25. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
20.	Banking and finance services	26. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
21.	Banking Insurance	27. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
22.	Apparel Designing	28. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
23.	Vision Technician	29. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
24.	नैतिक शिक्षा	30. नैतिक शिक्षा (हरि0 विद्यालय शिक्षा बोर्ड)

नोट : उपर्युक्त के अतिरिक्त गृह विज्ञान, कृषि, ड्राइंग, संगीत, नृत्य, शारीरिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम को कवर करती हुई पुस्तक अपनाने बारे संस्था के मुखिया अपने स्तर पर कार्यवाही करेंगे। बोर्ड द्वारा कोई भी पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है।

कक्षा दसवीं		
क्रम संख्या	विषय का नाम	पुस्तक का नाम
1.	हिन्दी	1. क्षितिज भाग-2 (ह.वि.शि.बो.) 2. कृतिका भाग-2 (हिंदी पूरक) (ह.वि.शि.बो.)
2.	English	3. First Flight (English Textbook) (ह.वि.शि.बो.) 4. Footprints without feet (Suppl. Reader) (ह.वि.शि.बो.)
3.	गणित	5. गणित (ह.वि.शि.बो.)
4.	सामाजिक विज्ञान	6. भारत और समकालीन विश्व-2 (इतिहास) (ह.वि.शि.बो.) 7. समकालीन भारत-2 (भूगोल) (ह.वि.शि.बो.) 8. आर्थिक विकास की समझ (ह.वि.शि.बो.) 9. लोकतांत्रिक राजनीति-2 (ह.वि.शि.बो.)
5.	विज्ञान	10. विज्ञान (ह.वि.शि.बो.)
6.	उर्दू	11. जान पहचान भाग-5 (द्वितीय भाषा) (NCERT)
7.	पशु पालन	12. पशु विज्ञान भाग-2 (ह.वि.शि.बो.) 13. पशु विज्ञान प्रायोगिक पुस्तिका भाग-2 (ह.वि.शि.बो.)
8.	पंजाबी	14. साहित्यक किरणा भाग-2 (सी.बी.एस.ई.) 15. साहित्य रंग भाग-2 (सी.बी.एस.ई.)
9.	संस्कृत	16. शोमुषी भाग-2 (ह.वि.शि.बो.)
10.	ITES	17. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
11.	ऑटोमोबाइल	18. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
12.	सिक्वोरिटी सर्विसिज	19. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
13.	रिटेल इण्डस्ट्री बिजनेस	20. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
14.	ब्यूटी एवं वैलनेस	21. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
15.	फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स	22. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
16.	पेशेंट केयर एसिस्टेंस	23. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
17.	एग्री पैडी फार्मिंग	24. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
18.	टुरिजम हॉस्पिटलिटी ट्रेवल	25. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
19.	मिडिया एनीमेशन	26. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
20.	Banking and finance services	27. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
21.	Banking Insurance	28. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
22.	Apparel Designing	29. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
23.	Vision Technician	30. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
24.	नैतिक शिक्षा	31. नैतिक शिक्षा (हरि0 वि0 शिक्षा बोर्ड)

नोट : उपर्युक्त के अतिरिक्त गृह विज्ञान, कृषि, ड्राइंग, संगीत, नृत्य, शारीरिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम को कवर करती हुई पुस्तक अपनाने बारे संस्था के मुखिया अपने स्तर पर कार्यवाही करेंगे। बोर्ड द्वारा कोई भी पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है।

कक्षा ग्यारहवीं		
क्रम संख्या	विषय का नाम	पुस्तक का नाम
1.	हिन्दी (कोर)	1. आरोह भाग-1 (ह.वि.शि.बो.) 2. वितान भाग-1 (पूरक पुस्तक) (ह.वि.शि.बो.) 3. अभिव्यक्ति और माध्यम (कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए हिंदी कोर एवं हिंदी ऐच्छिक के लिए) (ह.वि.शि.बो.)
2.	हिन्दी (ऐच्छिक)	4. अंतरा भाग-1 (NCERT) 5. अंतराल भाग-1 (पूरक पुस्तक) (NCERT)
3.	English (Core)	6. Hornbill (ह.वि.शि.बो.) 7. Snapshot (Suppl. Reader) (ह.वि.शि.बो.)
4.	English (Elective)	8. Woven Words (NCERT)
5.	गणित	9. Mathematics (ह.वि.शि.बो.)
6.	जीव विज्ञान	10. Biology (ह.वि.शि.बो.)
7.	भौतिकी	11. Physics-I (ह.वि.शि.बो.) 12. Physics-II (ह.वि.शि.बो.)
8.	रसायन	13. Chemistry-I (ह.वि.शि.बो.) 14. Chemistry-II (ह.वि.शि.बो.)
9.	इतिहास	15. विश्व इतिहास के कुछ विषय (ह.वि.शि.बो.)
10.	भूगोल	16. भौतिक भूगोल के मूल सिद्धान्त (ह.वि.शि.बो.) 17. भारत-भौतिक पर्यावरण (ह.वि.शि.बो.) 18. भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग-1 (ह.वि.शि.बो.)
11.	अर्थशास्त्र	19. भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास (ह.वि.शि.बो.) 20. अर्थशास्त्र में सांख्यिकी (ह.वि.शि.बो.)
12.	राजनीति विज्ञान	21. भारत का संविधान सिद्धान्त और व्यवहार (ह.वि.शि.बो.) 22. राजनीतिक सिद्धान्त (ह.वि.शि.बो.)
13.	समाज शास्त्र	23. समाजशास्त्र एक परिचय (ह.वि.शि.बो.) 24. समाज का बोध (ह.वि.शि.बो.)
14.	व्यवसाय अध्ययन	25. व्यवसाय अध्ययन (ह.वि.शि.बो.)
15.	लेखाशास्त्र	26. वित्तीय लेखांकन भाग-1 (ह.वि.शि.बो.) 27. वित्तीय लेखांकन भाग-2 (ह.वि.शि.बो.)
16.	संस्कृत	28. शाश्वती प्रथमो भाग (ह.वि.शि.बो.)
17.	पंजाबी	29. कव कमाई (नानक सिंह पुस्तक माला अमृतसर) 30. कथा कहानी (पंजाबी अकादमी, दिल्ली)
18.	जैव प्रौद्योगिकी	31. ए-टैक्स्ट बुक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी (सी.बी.एस.ई.) 32. ए-लेबोरेटरी मैनुअल बायोटेक्नोलॉजी (सी.बी.एस.ई.)
19.	उद्यमशीलता	33. उद्यमशीलता (सी.बी.एस.ई.)
20.	मनोविज्ञान	34. मनोविज्ञान का परिचय (NCERT)
21.	उर्दू	35. गुलिस्तां-ए-अदब (NCERT) 36. खयाबां-ए-उर्दू (NCERT)
22.	कम्प्यूटर साइंस	37. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं कम्प्यूटर साइंस (हारट्रॉन)
23.	ITES	38. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
24.	ऑटोमोबाइल	39. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)

25.	सिक्वोरिटी सर्विसिज	40.. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
26.	रिटेल इण्डस्ट्री बिजनेस	41. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
27.	ब्यूटी एवं वैलनेस	42. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
28.	फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स	43. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
29.	पेशेंट केयर एसिस्टेंस	44. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
30.	नैतिक शिक्षा	45. नैतिक शिक्षा (हरि0 विद्यालय शिक्षा बोर्ड)

नोट :

1. गृह विज्ञान, फाइन आर्ट्स, कृषि, दर्शनशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, नृत्य, संगीत विषयों हेतु सी.बी.एस.ई. द्वारा निर्धारित नए पाठ्यक्रम पर आधारित कोई भी उपयुक्त पुस्तक संस्था के मुखिया द्वारा लगवाई जा सकती है।
2. सैन्य विज्ञान/लोकप्रशासन विषयों हेतु इस बोर्ड द्वारा पूर्व निर्धारित गत शैक्षिक सत्र में प्रचलित पाठ्यक्रम पर आधारित कोई भी उपयुक्त पुस्तक संस्था के मुखिया द्वारा लगवाई जा सकती है।

कक्षा बारहवीं		
क्रम संख्या	विषय का नाम	पुस्तक का नाम
1.	हिन्दी (कोर)	1. आरोह भाग-2 (ह.वि.शि.बो.) 2. वितान भाग-2 (पूरक पुस्तक) (ह.वि.शि.बो.)
2.	हिन्दी (ऐच्छिक)	3. अंतरा भाग-2 (NCERT) 4. अंतराल भाग-2 (पूरक पुस्तक) (NCERT) 5. अभिव्यक्ति और माध्यम (कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए हिंदी कोर एवं हिंदी ऐच्छिक के लिए) (ह.वि.शि.बो.)
3.	English (Core)	6. Flamingo (ह.वि.शि.बो.) 7. Vistas (Suppl.) (ह.वि.शि.बो.)
4.	English (Elective)	8. Kaleidoscope (NCERT)
5.	संस्कृत	9. शाश्वती द्वितयो भाग (ह.वि.शि.बो.)
6.	भौतिकी	10. Physics-I (ह.वि.शि.बो.) 11. Physics-II (ह.वि.शि.बो.)
7.	रसायन	12. Chemistry-I (ह.वि.शि.बो.) 13. Chemistry-II (ह.वि.शि.बो.)
8.	जीव विज्ञान	14. Biology (ह.वि.शि.बो.)
9.	गणित	15. Mathematics-I (ह.वि.शि.बो.) 16. Mathematics-II (ह.वि.शि.बो.)
10.	इतिहास	17. भारतीय इतिहास के कुछ विषय इतिहास-1 (ह.वि.शि.बो.) 18. भारतीय इतिहास के कुछ विषय इतिहास-2 (ह.वि.शि.बो.) 19. भारतीय इतिहास के कुछ विषय इतिहास-3 (ह.वि.शि.बो.)
11.	भूगोल	20. मानव भूगोल के मूल सिद्धान्त (ह.वि.शि.बो.) 21. भारत-लोग और अर्थव्यवस्था (ह.वि.शि.बो.) 22. भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग-2 (ह.वि.शि.बो.)
12.	अर्थशास्त्र	23. व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय (ह.वि.शि.बो.) 24. समाष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय (ह.वि.शि.बो.)
13.	राजनीति विज्ञान	25. समकालीन विश्व राजनीति (ह.वि.शि.बो.)

		26. स्वतन्त्र भारत में राजनीति (ह.वि.शि.बो.)
14.	समाज शास्त्र	27. भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास (ह.वि.शि.बो.) 28. भारतीय समाज (ह.वि.शि.बो.)
15.	व्यवसाय अध्ययन	29. व्यवसाय अध्ययन भाग-1 (ह.वि.शि.बो.) 30. व्यवसाय अध्ययन भाग-2 (ह.वि.शि.बो.)
16.	लेखाशास्त्र	31. अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते (ह.वि.शि.बो.) 32. कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण (ह.वि.शि.बो.)
17.	पंजाबी	33. काव्य कीर्ति (गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय अमृतसर) 34. एहुनिका गद्य रत्नाकर (पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला) 35. शोभा शक्ति (आर.सी. पब्लिशिंग, प्लीजर गार्डन, चांदनी चौक, दिल्ली)
18.	जैव प्रौद्योगिकी	36. ए-टैक्स्ट बुक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी (सी.बी.एस.ई.) 37. ए-लेबोरेटरी मैनुअल बायोटेक्नोलॉजी (सी.बी.एस.ई.)
19.	उद्यमशीलता	38. उद्यमशीलता (सी.बी.एस.ई.)
20.	मनोविज्ञान	39. मनोविज्ञान (NCERT)
21.	उर्दू	40. गुलिस्तां-ए-अदब (NCERT) 41. खयाबां-ए-उर्दू (NCERT)
22.	कम्प्यूटर साइंस	42. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं कम्प्यूटर साइंस (हारट्रॉन)
23.	ITES	43. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
24.	ऑटोमोबाइल	44. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
25.	सिक्योरिटी सर्विसिज	45. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
26.	रिटेल इण्डस्ट्री बिजनेस	46. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
27.	ब्यूटी एवं वैलनेस	47. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
28.	फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स	48. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
29.	पेशेंट केयर एसिस्टेंस	49. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
30.	नैतिक शिक्षा	50. नैतिक शिक्षा (हरि0 विद्यालय शिक्षा बोर्ड)

नोट :

1. गृह विज्ञान, फाइन आर्ट्स, कृषि, दर्शनशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, नृत्य, संगीत विषयों हेतु सी.बी.एस.ई. द्वारा निर्धारित नए पाठ्यक्रम पर आधारित कोई भी उपयुक्त पुस्तक संस्था के मुखिया द्वारा लगवाई जा सकती है।
2. सैन्य विज्ञान/लोकप्रशासन विषयों हेतु इस बोर्ड द्वारा पूर्व निर्धारित गत शैक्षिक सत्र में प्रचलित पाठ्यक्रम पर आधारित कोई भी उपयुक्त पुस्तक संस्था के मुखिया द्वारा लगवाई जा सकती है।

आवश्यक सूचना

बोर्ड कार्यालय द्वारा परीक्षा संबंधी व अन्य सभी प्रकार के भुगतान शिक्षकों के बैंक खातों में सीधे ही करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए सभी शिक्षक अपनी पारिश्रमिक राशि प्राप्त करने के लिए बिल के साथ बैंक का नाम, खाता संख्या तथा आई0एफ0एस0सी0 कोड (IFSC) अवश्य लिखें।